विद्युत दुर्घटना होने पर क्या करें ?

किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर

1. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से बिजली से अलग करें।
2. उपलब्ध प्रथम उपचार करें तथा हृदय गति रूकने पर उसे चालू करने हेतु मुंह में मुंह द्वारा या सीने पर मालिश करके कृत्रिम स्वांस तुरन्त दें।
3. डाक्टर को बुलायें।
4. पुलिस को सूचना दें।
5. बिजली सप्लायर को सूचना दें।
6. विद्युत सुरक्षा विभाग के सम्बन्धित कार्यालय को सूचना दें।
7. यथासम्भव मृतक का पोस्टमार्टम करवायें।

प्रत्येक विद्युत से हुई दुर्घटना की जांच विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा की जाती है जिससे दुर्घटना की रोकथाम की जा सके, दोषी को दण्डित किया जा सकें, एवं इस सम्बन्ध में हुई क्षति की पूर्ति की जा सके। अतः इस सम्बन्ध में सावधान एवं सतर्क रहें जिससे आप मिलने वाले सम्बन्धित लाभ से वंचित न हो सकें।

प्रत्येक विद्युतीय दुर्घटना की सूचना विद्युत सुरक्षा विभाग को दिया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य एवं आवश्यक है। कृपया इसमें लापरवाही, असावधानी न बरतें अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं तथा दण्डित किये जा सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि प्रदेश में इतनी अधिक विद्युत दुर्घटनायें क्यों एवं किस कारण से होती हैं ?

विगत वर्षों में प्रदेश में विद्युतीय दुर्घटनाओं के होने के कारण निम्न प्रकार से है :–

क्र. स.	दुर्घटना के होने के कारण
1.	अनाधिकृत रूप से कार्य करना
2.	सेफ्टी एवं प्रोटेक्टिव डिवाईस का कार्य न करना
3.	लाईन से असुरक्षित दूरी का होना
4.	अधिष्ठापन का त्रुटिपूर्ण होना
5.	पोल तथा क्रास–आर्म का टूटना
6.	सुरक्षा साधन के बिना कार्य करना
7.	असावधानीपूर्वक कार्य करना
8.	निर्धारित प्रक्रिया के अनूसार कार्य न करना
9.	अन्य कारण

प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं की संख्या चिन्ताजनक है।

कृपया आप इन दुर्घटनाओं की संख्या को घटाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। विद्युत सुरक्षा विभाग आपका आभारी रहेगा।